



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साईट jodhpurjda.Org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक : एफ-46/नीलामी/2018-19/ 634-635

दिनांक :- 22/4/2019

जनसम्पर्क अधिकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

विषय :- निलामी आयोजन माह मई, 2019 के लिए प्रचार-प्रसार बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ निलामी आयोजन माह मई, 2019 की प्रतियां प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि विज्ञापन नीति के नियमानुसार उक्त निलामी कार्यक्रम को जोधपुर संभाग के एक प्रमुख क्षेत्रीय दैनिक अखबार एवं एक प्रमुख राज्य स्तरीय अखबार जिनकी (सरकुलेशन) प्रसार संख्या 50,000 या इससे अधिक हो में प्रकाशित करावें एवं विज्ञापन निती अनुसार रोस्टर रजिस्टर का संधारण कर विज्ञापन देने से हेतु अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करे।

संलग्न : माह मई, 2019 का कार्यक्रम।

37

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : एफ-46/नीलामी/2018-19/

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सहायक कम्प्युटर प्रोग्रामर (निक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को भेज कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि संलग्न निलामी कार्यक्रम को वेब पोर्टल पर लोड करे।

4

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

आवासीय तथा व्यावसायिक भूखण्डों की भव्य निलामी माह :- मई, 2019

नीलामी स्थल - प्राधिकरण परिसर

क्रमांक :- एफ46/निलामी/2018-19/ 620

समय प्रातः 10.30 बजे से

दिनांक :- 18/05/2019

क्र.स.	योजना का नाम	किस्म	जोन	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल/ वर्ग मीटर	बोली प्रारम्भ करने की दर	अमानत राशि	नीलामी दिनांक/वार
01.	सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना	आवासीय (कॉर्नर)	उत्तर	50, 53	30'X64' (178.36 वर्ग मीटर)	14,500/- प्रति वर्ग मीटर	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	08/05/2019 बुधवार
				165, 182	30'X64' (178.36 वर्ग मीटर)	14,500/- प्रति वर्ग मीटर	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	09/05/2019 गुरुवार
				183, 199, 255	30'X64' (178.36 वर्ग मीटर)	14,500/- प्रति वर्ग मीटर	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	10/05/2019 शुक्रवार
02.	खसरा नं. 269 कुड़ी भगतासनी मुख्य पाली रोड़ पर स्थित	व्यावसायिक	दक्षिण	11, 12, 13	50'X90' (418.22 वर्ग मीटर)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	13/05/2019 सोमवार
				22, 23,	50'X90' (418.22 वर्ग मीटर)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	14/05/2019 बुधवार
				24, 25,	50'X90' (418.22 वर्ग मीटर)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	15/05/2019 गुरुवार
				34, 35,	50'X90' (418.22 वर्ग मीटर)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	16/05/2019 शुक्रवार
03.	विवेक विहार आवासीय योजना सेक्टर - D	आवासीय	दक्षिण	613, 646	34.6'X60' (192.38 वर्ग मीटर)	11,500/- प्रति वर्ग मीटर	45,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	17/05/2019 सोमवार
				629, 630	43.6'X60' (242.57 वर्ग मीटर)	11,500/- प्रति वर्ग मीटर	60,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	20/05/2019 सोमवार
				658, 659	45.9'X60' (255.11 वर्ग मीटर)	11,500/- प्रति वर्ग मीटर	60,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	21/05/2019 मंगलवार
				670, 671,	47'X60' (262.08 वर्ग मीटर)	11,500/- प्रति वर्ग मीटर	60,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	27/05/2019 सोमवार
				682, 683	46'X60' (256.51 वर्ग मीटर)	11,500/- प्रति वर्ग मीटर	60,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	28/05/2019 मंगलवार

मुख्य शर्तें

- भूखण्डों की निलामी 99 वर्षीय लीज होल्ड बेसिस पर प्राधिकरण परिसर में की जावेगी। बोलीदाताओं को बोली लगाने से पूर्व आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड एवं दुकान हेतु उपरोक्तानुसार बतौर धरोहर राशि जमा करानी होगी
- सफल बोलीदाता को भूखण्ड की कुल कीमत को 1/4 राशि उसी समय मौके पर नकद/डी.डी., बैंकर्स चैक, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से जमा करानी होगी। ऐसा नहीं किया जाने पर शर्त 1 में वर्णित जमा धरोहर राशि जब्त की जाकर उक्त भूखण्ड को पुनः नीलाम किया जायेगा एवं सफल बोलीदाता से राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली की जायेगी।
- मौके पर परिस्थिति अनुसार भूखण्डों की साईज व क्षेत्रफल घट बढ़ सकता है।
- सम्पत्ति जहां है जैसी है, के आधार पर निलाम की जा रही है।
- उपरोक्त समस्त भूखण्डों/दुकानों में न्यूनतम 100 रु प्रति वर्गमीटर से कम बोली स्वीकार नहीं की जायेगी
- अधिक जानकारी एवं नीलामी की शर्तों के संबंध में प्रभारी अधिकारी, (नीलामी) से कार्यालय समय में सम्पर्क करें।
- निलामी की जानकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jodhpurjda.org पर देखी जा सकती है।
- धरोहर राशि जमा के साथ व्यक्ति / फर्म की सत्यापित पहचान-पत्र व पैन कार्ड को फोटो प्रति आवश्यक रूप से कैशियर को उपलब्ध करवानी होगी।
- किसी अन्य व्यक्ति/फर्म आदि के नाम से निलामी में भाग लेने हेतु उस व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रतिनिधि के पक्ष में 50/- स्टाम्प पर जारी (तस्दीक शुदा) स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- धरोहर राशि जमा कराने का समय प्रातः 10.30 बजे से 12.30 एवं बोली प्रारम्भ करने का समय: अपराहन 1.00 बजे से रहेगा।

प्रभारी अधिकारी (निलामी शाखा)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मो. 9799042125, 9950007179
फोन:- 0291-2656355, 2656356

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

प्रचलित नीलामी की शर्तें

2. सफल बोलीदाता को उसकी अन्तिम बोली से भूखण्ड की कुल कीमत 1/4 राशि उसी समय मौके पर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी होगी। ऐसा नहीं किया जाने पर शर्त 1 में वर्णित धरोहर राशि जब्त की जाकर रहवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड निर्मित आवास/दुकान को पुनः नीलाम किया जावेगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति की तिथि से 30 दिवस के भीतर शेष 3/4 राशि जमा करवानी होगी अन्यथा उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात आगामी 60 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बोली स्वीकृत की तिथि से यह राशि जमा करवाई जा सकती है।
4. परन्तु उपरोक्त कालावधि के भीतर शेष 3/4 राशि जमा नहीं किये जाने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गयी 1/4 राशि जब्त हो जायेगी एवं नीलामी सुदा भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त हो जावेगी।
5. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि में अपने स्वः विवेक के अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वतः निरस्तीकरण आदेश को वापिस लेते हुए नीलामी को नियमित कर सकते हैं, बसंत सफल बोलीदाता शेष 3/4 राशि को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मय निम्न शास्ती के साथ जमा करवाने को तैयार हो:-
(क) 6 माह तक शास्ती 5 % (ख) 6 माह से अधिक शास्ती 10 %
6. स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर स्व विवेक से आगामी एक वर्ष की अवधि तक इस प्रकार स्वतः निरस्तीकरण को नियमित कर सकता है बशर्त सफल बोलीदाता को शर्त क्रमांक 5 में अंकित शास्ती एवं ब्याज की बकाया 3/4 राशि के साथ जमा करवाने को तैयार हो।
7. आयुक्त एवं कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर इस प्रकार से नियमन के लिए पांबंद नहीं है। यह उनका स्वविवेकाधिकार है कि वो प्रकरण को नियमित करे या नहीं, जो कि प्रकरण के गुणावगुण व स्वविवेक पर निर्भर करता है।
8. सफल बोलीदाता द्वारा बकाया 3/4 राशि का भुगतान यदि नकद न करवाया जाकर बैंक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो जमा की तिथि उक्त बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर खाते में क्रेडिट होने पर ही मान्य होगी।
9. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के स्थल पर लगाई गई बोली जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर आयुक्त द्वारा बोली स्वीकृत किये जाने पर ही मान्य होगी।
10. आयुक्त जो.वि.प्रा. में किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्तियां निहित होगी।
11. मौके पर नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी किसी भी बोली को निरस्त कर सकता है यदि उसकी नजर में दी गई बोली स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है।
12. भूखण्ड की नीलामी किरायेदार स्वामित्व के आधार पर 99 वर्ष के लिए होगी। प्रतिवर्ष निर्धारित दर से लीज राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा जो नीलामी की रकम से अतिरिक्त देय होगी।
13. भूखण्डों का उपयोग नीलामी के समय निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं किया जावेगा यदि किसी भी समय अन्यथा प्रयोग पाया गया तो जोधपुर विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि नीलामी को निरस्त कर दे अथवा सरकार व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्मित नियमों के अनुरूप कार्यवाही अमल में ला सकेगा।
14. नियम 14(क) के अनुसार निर्माण के लिए कालावधि 3 वर्ष के लिए रहेगी। विफल रहने पर भूखण्ड जेडीए द्वारा पुनः ग्रहित कर लिया जावेगा।
15. यदि सफल बोलीदाता को नीलामी की तिथि से 15 दिवस के भीतर बोली प्रतिग्रहित किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हो तो यह बोलीदाता स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर नोटिस प्राप्त करे तथा नोटिस में दी हुई तिथि तक 3/4 राशि जमा करवा दे। नीलामी प्रतिग्रहित किए जाने की सूचना बोलीदाता द्वारा प्राप्त नहीं करने पर बोली के वक्त दर्ज कराए गये पते पर यू.जी.सी. अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्वीकृत सूचना बोलीदाता को भेजी जा सकेगी व उक्त पते पर भेजा गया पत्र बोलीदाता को उपलब्ध न होने से अथवा लेने से इन्कार करने पर अथवा नोटिस पावती जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्राप्त नहीं होने की सूत्र में स्वीकृत का नोटिस तामील होना माना जायेगा।
16. राज्य सरकार अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियम व शर्तें मान्य होगी।
17. अन्य शर्तें जो भी भूखण्ड पर लागू होगी मौके पर बताई जायेगी।
उपरोक्त शर्तें क्र. 1 से 17 मैने पढ़कर समझ ली है जो मुझे मान्य है।

दिनांक

भूखण्ड सं. योजना किस्म

क्षेत्रफल वर्गमीटर अंतिम बोली दर

कीमत राशि

क्रेता का नाम

पति/पिता का नाम

पता हस्ताक्षर

..... तिथि